बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ii स्वीकृत्यादेश ii

संख्या–03 / बजट–01–25 / 2026 / ..... / आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना–23, दिनांक–

विषयः–वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2245–80–001–0002–बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्तर्गत रु० 1200.00 लाख (बारह करोड़ रुपये) की निकासी कर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के **PL Account PTSPLA038** में अंतरित करने की स्वीकृति।

आदेशः–स्वीकृत ।

2. इसका व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष–0002–बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मांग संख्या–39, विपत्र कोड 39–2245800010002, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी **BTC Form-42** में कर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के **PL Account- PTSPLA038** में CFMS के माध्यम से अंतरित की जाएगी। निकासी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 माह के अन्दर **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

4. उक्त अंतरित राशि से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक व्यय, विद्युत व्यय, दूरभाष, किराया आदि के भुगतान के साथ–साथ प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु व्यय किया जाएगा।

5. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
अपर सचिव

ज्ञापांक–03 / बजट–01–25 / 2026 / 349 / आ0प्र0, पटना–23 दिनांक– 02-11-26

प्रतिलिपि–

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण, बिहार को उनके पत्रांक–2977 / प्राधि0, दिनांक–01.10.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पूर्व प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जाए, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।
4. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार / लेखाशाखा को (दो प्रति में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर / प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/10

अपर सचिव